ऋण-पत्र तथा अंश में अंतर
(Difference between a Debenture and a Share)

क्रम सं०	ऋण-पत्र (Debenture)	अंश (Share)
1.	ऋण-पत्र निर्गमित करके कम्पनी ऋण लेती है।	अंश निर्गमित करके कम्पनी पूँजी प्राप्त करती है।
2.	ऋण-पत्रों के धारक कम्पनी के लेनदार (Creditor) होते हैं।	अंशधारी कम्पनी के स्वामी होते हैं।
3.	ऋण-पत्रों पर कम्पनी एक निश्चित दर से ब्याज अवश्य देती है चाहे कम्पनी को लाभ हो या हानि।	अंशों पर कम्पनी केवल लाभों में से ही लाभांश देती है। लाभांश की दर प्रायः बदलती रहती है और यह लाभों तथा संचालकों के निर्णय पर निर्भर करती है।
4.	ऋण-पत्रधारियों को कम्पनी के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में भाग लेने का अधिकार नहीं होता।	अंशधारी कम्पनी के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में भाग ले सकते हैं। क्योंकि ये कम्पनी के स्वामी होते हैं।
5.	ऋण-पत्रों से प्राप्त धन एक निश्चित समय के पश्चात् कम्पनी के जीवनकाल में ही वापिस कर दिया जाता है।	शोध्य पूर्वाधिकार अंशों की राशि को छोड़कर शेष अंशों से प्राप्त राशि का भुगतान कम्पनी की समाप्ति पर ही किया जा सकता है।
6.	कम्पनी के समापन की दशा में ऋण-पत्रों की राशि का भुगतान पहले किया जाता है।	कम्पनी के समापन की दशा में अंशों से प्राप्त राशि का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है।
7.	ऋण-पत्रधारियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता।	अंशधारियों को वोट देने का अधिकार होता है।
8.	कम्पनी अपने स्वयं के ऋण-पत्रों को क्रय कर सकती है।	कम्पनी अपने स्वयं के अंशों का क्रय नहीं कर सकती। नये संशोधन के अनुसार अब कम्पनी अपने स्वयं के अंशों को भी स्वयं खरीद (Buy Back) कर सकती है।
9.	ऋण-पत्रों के कटौती पर निर्गमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	धार 79 अंशों के कटौती पर निर्गमन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाती है।
10.	ऋण-पत्र प्रायः कम्पनी की सम्पत्तियों पर रक्षित (Secured) होते हैं एवं इनमें जोखिम कम होती है।	अंश प्रायः अनारक्षित (Unsecured) होते हैं एवं इनमें जोखिम अधिक होती है।

ऋण-पत्रों का निर्गमन
(Issue of Debentures)

ऋण-पत्रों का निर्गमन अंशों की तरह ही किया जाता है। ऋण-पत्र, बिना किसी कानूनी प्रतिबन्ध के सम-मूल्य पर (At Par) प्रीमियम पर (At Premium) या बट्टे पर (At Discount) निर्गमित किए जा सकते हैं। कम्पनी अधिनियम में अंशों की कटौती पर निर्गमन के सम्बन्ध में जो प्रतिबन्ध लागू हैं वह ऋण-पत्रों पर लागू नहीं होते।

यदि ऋण-पत्र कम्पनी की सम्पत्ति पर कोई प्रभार उत्पन्न करते हैं तो प्रभार उत्पन्न होने के 21 दिन के भीतर प्रभार का ब्यौरा रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत कर देना चाहिए। रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र लेना चाहिए और उसकी एक नकल प्रत्येक ऋण-पत्र पर दे देनी चाहिए। प्रभार का ब्यौरा कम्पनी के प्रभारों के रजिस्टर में ही लिख देना चाहिए। ऋण-पत्रों के आबंटन के पश्चात् ऋण-पत्रधारी का आवश्यक ब्यौरा ऋण-पत्रधारियों के रजिस्टर में लिख देना चाहिए।

Scanned with CamScanner

ऋण-पत्रों के लिए हिसाब-किताब सम्बन्धी प्रविष्टियाँ
(Accounting Entries for Debentures)

अंशों की भांति ऋण-पत्रों के लिए भी भुगतान एक मुश्त तो किश्तों में प्राप्त हो सकता है। यदि ऋण-पत्र आवेदन पर, आबंटन एवं माँगों पर किश्तों में भुगतान करने की शर्त पर निर्गमित किए जाते हैं, तो विधि वही होगी जोकि अंशों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है, अर्थात् ऋण-पत्र आवेदन एवं आबंटन पुस्तक, ऋण-पत्र माँग पुस्तक और ऋण-पत्रधारियों का रजिस्टर निर्गमित किए गए ऋण-पत्रों का विस्तृत ब्यौरा रखने के लिए प्रयोग किए जाएँगे।

ऋण-पत्रों के निर्गमन पर वित्तीय पुस्तकों में जो प्रविष्टियाँ की जाएंगी वे वैसी ही होंगी जैसी कि अंशों के निर्गमन पर की जाती हैं। हाँ, इतना अन्तर होगा कि **अंशधारियों के खाते के स्थान पर ऋण-पत्रधारियों का खाता, अंश आवेदन एवं आबंटन खाते के स्थान पर ऋण-पत्र आवेदन एवं आबंटन खाता और अंश माँग खाते के स्थान पर ऋण-पत्र माँग खाता खोला** जाएगा। जब कम्पनी ने एक से अधिक श्रेणियों के ऋण-पत्र निर्गमित किए हों तब प्रत्येक निर्गमन के लिए एक पृथक् ऋण-पत्र खाता खोलना होगा। यथा :

कम्पनी की पुस्तकों में ऋण-पत्र निर्गमित करते समय निम्नलिखित प्रविष्टियाँ होती हैं :

(1) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर :

Bank A/c .....Dr.
To Debenture Application A/c
(For application money received for .....debentures @ Rs. ..... per debenture)

(2) आवेदन की राशि को ऋण-पत्र खाते में स्थानान्तरित करने पर लेखा :

Debenture Application A/c .....Dr.
To Debentures A/c
(For debenture application money transferred to Debenture Account)

(3) जिन आवेदकों को कोई भी ऋण-पत्र आबंटित नहीं किए गए उनका धन वापस करने के लिए :

Debenture Applications A/c .....Dr.
To Bank A/c
(For refund of application money on rejected applications)

(4) जिन प्रार्थना-पत्रों पर आंशिक आबंटन किया गया है उन पर प्राप्त आधिक्य की राशि को आबंटन खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है :

Debenture Application A/c .....Dr.
To Debenture Allotment A/c
(For surplus application money on partially accepted applications transferred to Allotment A/c)

(5) आबंटन की राशि माँगने पर लेखा :

Debenture Allotment A/c .....Dr.
To Debentures A/c
(For Allotment money due on ..... Debenture @ Rs .....each)

(6) आबंटन की राशि प्राप्त होने पर लेखा :

Bank A/c .....Dr.
To Debenture Allotment A/c
(For allotment money received on ..... Debenture Rs. ..... each)

(7) प्रथम और अन्तिम माँग देय होने पर :

Debenture First and Final Call A/c .....Dr.
To Debentures A/c
(For first and final call money due on ..... Debenture @ Rs. .....each)

Scanned with CamScanner